Ph./Fax :- 06341-225175
E-mail :- mdmshekhpura@gmail.com

कार्यालय : जिला मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा

–: संवेदक चयन से संबंधित विज्ञापन सूचना :–

एतद् द्वारा शेखपुरा जिला अन्तर्गत तीन (03) प्रखंडों अरियरी, चेवाड़ा एवं बरबीघा के लिए दो वित्तीय वर्ष (2018–19, 2019–20) हेतु राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाकर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने हेतु मुहरबंद आवेदन/निविदा आमंत्रित किये जाते है। अधोलिखित शर्त्तो के अधीन मुहरबंद आवेदन दैनिक **समाचार पत्रों में प्रथम प्रकाशित विज्ञापन की तिथि से 15 दिनों तक कार्यालय समयावधि 05:00** अप0 बजे तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना, शेखपुरा के कार्यालय में रजिस्ट्री डाक के माध्यम से प्राप्त किये जाएँगे। आवेदन/निविदा प्राप्त करने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नही की जाएगी। बगैर मुहरबंद/अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/ओभर राईटिंग किये गये आवेदन/निविदा अस्वीकृत कर दिये जाएगे। निविदा खोले जाने की सूचना समाचार पत्रों कार्यालय सूचना–पट प्रकाशित एवं दूरभाष पर दी जायेगी। जिसमें निविदादाता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा।

<u>आवेदन/निविदा की शर्ते निम्नवत है :–</u>

1. आवेदन में आवेदक को व्यवसायिक 05 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन (जिसका ऑनरबुक/रोड टैक्स/फिटनेस/इंश्योरेंस/परमिट/प्रदुषण अद्यतन है) मालिको का लिखित नन जुडिसयल स्टाम्प (मूल्य 100/–रू0 पर) एकरारनामा के साथ वाहन के अद्यतन रोड टैक्स/फिटनेस/इश्योरेंस पेपर/परमिट की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन होने की स्थिति में वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न के उठाव हेतु आवश्यकतानुसार संवेदक द्वारा बताये गये समय पर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। राज्य से बाहर के निबंधित वाहन का एकरारनामा मान्य नही होगा।

2. निविदादाता जिला के निवासी हो तथा स्वयं का 02 वाहन होना अनिवार्य है। जिनके पास अपना ट्रैक्टर/पिकअप/छोटी वाहन एवं अन्य व्यवसायिक वाहन 02 से ज्यादा हो को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. आवेदक को इस आशय का लिखित एकरारनामा भी प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने के स्थिति में निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 2189 दिनांक 21.12.2016 के आलोक में संवेदक स्वयं Hanging Weigh Machine क्रय करेंगे तथा मध्याहन भोजन योजना का चावल का प्रत्येक बोरा तौलकर विद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

4. आवेदक को 50000.00 (पचास हजार) रूपये अग्रिम सुरक्षित जमा राशि के रूप में (बैंक ड्राफ्ट जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना, शेखपुरा के पक्ष में देय होगा) आवेदन के साथ जमा करना होगा, जो सेवा जारी रहने तक जमा रहेगा। संवेदक के रूप में चयन नही होने पर यह बैंक ड्राफ्ट संबंधित राशि को वापस कर दिया जाएगा। जिन चयनित संवेदक के द्वारा समय पर कार्य नही करने/या किसी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम राशि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0भो0यो0 के द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

5. आवेदक को आवेदन के साथ आरक्षी अधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी निर्गत "मूल चरित्र प्रमाण–पत्र" जो तीन माह के अंदर निर्गत हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा। छायाप्रति किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा।

6. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 कलर फोटो/आई0डी0 कार्ड/आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

7. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय के स्टोर तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न के बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दंड लगाते हुये राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जायेगा।

8. एकरारनामा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए किया जाएगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषप्रद कार्य/गबन करने की स्थिति में एकरारनामा बीच में भी रद्द किया जा सकता है।

Ph./Fax :- 06341-225175
E-mail :- mdmshekhpura@gmail.com

9. चयनित संवेदक को ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का प्रयोग किया जायेगा। ढुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना संबंधित प्रखंड का नाम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, संबंधित प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक का नाम एवं मोबाईल नम्बर लिखा होना अनिवार्य है।

10. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि "मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नही हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी नही है। साथ ही निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि " वह कहीं से काली सूची में नही है तथा निविदा में जमा किये गये सभी कागजात सही है। उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।

11. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन अथवा किसी आवेदन को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा तथा किसी प्रकार की विवाद का निपटारा शेखपुरा जिला के न्यायिक क्षेत्र अन्तर्गत किया जाएगा।

12. चयन के लिए जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

13. आवेदक केवल एक ही प्रखंड के लिए आवेदन देंगे। एक ही आवेदक यदि एक से अधिक प्रखंड हेतु आवेदन देते है तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

14. आवेदक आवेदन पत्र बंद लिफाफे के उपर पर निविदा आमंत्रित प्रखंड का नाम स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में दर्शायेंगे।

15. प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक उठाव किये गये खाद्यान्न को निर्धारित विद्यालय में अवश्य पहुँचा देंगे इसे भण्डारित करना सर्वथा वर्जित है।

16. संवेदक का चयन जिस प्रखंड के लिए किया जायेगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखंड के लिए मान्य होगा तथा चयनित संवेदक से 02 वर्ष तक ही कार्य लिया जायेगा। 02 वर्ष के बाद अवधि विस्तार नही किया जायेगा।

17. समान अर्हता की स्थिति में लॉट्री के माध्यम से चयन प्रक्रिया किया जायेगा।

18. आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी मध्याहन भोजन योजना जिला कार्यालय, शेखपुरा से प्राप्त की जा सकती है।

19. चयनित संवेदक अपने श्रोत्र से निदेशक, मध्याहन भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 193 दिनांक 29.01.2018 के आलोक में राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर विद्यालयों तक वितरण किये जाने वाले वाहनों में **GPS** लगायेंगे, यह अनिवार्य है।

20. विज्ञापन से संबंधित जानकारी जिला के बेवसाईट **www.sheikhpura.bih.nic.in** पर देखी एवं संवेदक चयन से संबंधित हेतु आवेदन–सह–स्वघोषणा पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

<u>आवेदन /निविदा जमा करने का पता</u> :– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याहन भोजन योजना, समाहरणालय परिसर, विकास भवन, कमरा नं0 – 17, जिला – शेखपुरा, पिन – 811105

9.2.18 20/7/18

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी –सह–सचिव, मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा	उपविकास आयुक्त, शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा –सह–अध्यक्ष, मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा